

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. बी-4-06-2011-2-पांच (12).—भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 08 सन् 2011) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 1 अप्रैल, 2011 को उस तारीख में रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. बी-4-06-2011-2-पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-06-2011-2-पांच (12), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. B-4-06-2011-2-V (12) —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011 (No. 08 of 2011), the State Government, hereby, appoints the 1st April 2011 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.